श्री विश्वकर्मा जांगिड कर्मचारी समिति छात्रावास

नियम एवं शर्तें

श्री विश्वकर्मा जांगिड कर्मचारी छात्रावास में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित नियम एवं शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा–

1. छात्रावास में प्रवेश में वरीयता केवल होशियार एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को ही दी जायेगी। छात्रावास केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिये नाम मात्र के शुल्क पर होगा। शुल्क का निर्धारण छात्रावास प्रबंधन द्वारा समय समय पर किया जायेगा।
2. प्रवेश के लिये निर्णायक कमेटी द्वारा प्रवेश परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों लिये जा सकते हैं। प्रवेश का अंतिम निर्णय छात्रावास प्रबंधन का ही होगा।
3. छात्रावास में किसी भी प्रकार का अनुचित अथवा अशोभनीय व्यवहार करना, शोर शराबा करना, किसी की पढाई में बाधा डालना, किसी भी प्रकार का नशा करना अथवा अपने पास रखना सर्वथा वर्जित होगा।
4. छात्रावास में किसी भी महिला सदस्य का प्रवेश पूर्णत वर्जित है।
5. छात्रावास परिसर में किसी भी बाहरी पुरूष सदस्य का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा लेकिन परिवार के सदस्य आपातकालीन स्थिति में छात्रावास व्यवस्थापक की पूर्व अनुमति से छात्रावास परिसर में प्रवेश कर सकते हैं अथवा एक दो दिन के लिये रूक सकते हैं।
6. छात्रावास में एक बार कक्ष आवंटित होने के बाद विद्यार्थी को बिना अनुमति कक्ष बदलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही किसी भी एक कक्ष का सामान बिना अनुमति किसी अन्य कक्ष में नहीं ले जाया सकेगा।
7. छात्रावास में प्रवेश के दौरान कक्ष में उपलब्ध सामान की सूची पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवायेंगे जायेंगे। छात्रावास छोड़ने पर उस सूची के अनुसार सभी सामान सही सलामत लौटाने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी। इसके लिये प्रवेश के समय 5000 रू. की धनराशि अमानत राशि के रूप में जमा करवानी होगी जो छात्रावास छोड़ने पर वापस देय होगी।

8. छात्रावास कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, भोजन कक्ष सहित छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार का नुकसान विद्यार्थी की लापरवाही से होने पर नुकसान की भरपाई संबंधित विद्यार्थी से ही की जायेगी।
9. छात्रावास में बिजली के उपकरणों की देखभाल एवं रख–रखाव संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ही किया जायेगा। बिजली का प्रयोग आवश्यकतानुसार ही मितव्ययता से करें। कक्ष से बाहर होने पर बिजली के उपकरण चालू मिलने पर कार्यवाही की जा सकेगी।
10. विद्यार्थी अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की मंहगी वस्तुएं यथा– गहनें, कीमती सामान, धनराशि आदि छात्रावास परिसर में ना रखें।
11. छात्रावास परिसर में हीटर, इस्त्री, कैटल आदि चलाना मना होगा।
12. छात्रावास में रहने समस्त विद्यार्थियों को अपने कक्ष से बाहर समस्त जगह पहनावे की मर्यादा एवं शालीनता रखनी होगी।
13. छात्रावास में अपने कक्ष एवं अपने बर्तनों की साफ सफाई का ध्यान संबंधित विद्यार्थी को स्वयं रखना होगा।
14. छात्रावास परिसर में अपने कक्ष एवं आसपास सफाई की जिम्मेदारी श्री विश्वकर्मा जांगिड कर्मचारी समिति के कार्यक्रमों में आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को सहयोग करना होगा। महिने में एक बार एक घंटे के लिये छात्रावास के लिये श्रमदान करना होगा।
15. छात्रावास परिसर में कपड़े आदि हर कहीं नहीं सुखाये जायेंगे। निर्धारित स्थान पर ही कपड़े सुखायें।
16. छात्रावास में देर रात्रि 12 बजे बाद प्रवेश नहीं होगा। अतः छात्र अपने आने का समय उसी हिसाब से निर्धारित करें।
17. निर्धारित स्थान के अलावा कहीं पर भी कचरा आदि फेंकना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
18. छात्रावास परिसर में पालतू जानवर रखना एवं लाना वर्जित होगा।
19. छात्रावास अधीक्षक महोदया द्वारा कभी भी छात्रावास का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
20. श्री विश्वकर्मा जांगिड छात्रावास प्रबंधन द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

21. छात्रावास का निर्धारित शुल्क प्रत्येक माह की 10 तारीख तक देना अनिवार्य है। देर होने पर पेनल्टी भुगतान 10 रू. प्रतिदिन के हिसाब से होगा।
22. छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिवर्ष स्क्रीनिंग होगी एवं आगे और रहने की अवधि उसी के हिसाब से बढाई जायेगी।
23. यदि किसी छात्र को छात्रावास छोड़ना है तो छात्रावास व्यवस्थापक को एक महिने पहले ही सूचना देनी होगी। छात्रावास छोड़ने के समय यदि 15 दिन से कम का महिना होता है तो किराया 15 दिन का ही लगेगा। 15 दिन से अधिक होने पर पूरे महिने का किराया देय होगा।
24. किसी भी विवाद अथवा अन्य स्थिति में श्री विश्वकर्मा जांगिड कर्मचारी समिति प्रबंधन का निर्णय अंतिम, मान्य एवं बाध्यकारी होगा।